झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका सं. 536 वर्ष 2024

1. सुमित सधवानी, उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र सुभाष सधवानी उर्फ सुभाष चन्द्र सधवानी, निवासी 502,बी, ब्लाक- एम,- न्यू अलीपुर, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना -न्यू अलीपुर, जिला कोलकाता,राज्य- पश्चिम बंगाल

2. जय किशन लखमणि उर्फ जय किशन सधवानी , उम्र लगभग 40 वर्ष -पुत्र स्व. खेमचन्द्र लखमणि, निवासी ग्रीन फील्ड सिटी ब्लाक 24 फ्लैट 2 डी, जोति सिबरामपुर, जोति सिबरामपुर हाई स्कूल, महेशतला, (एम) पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना-महेश तला, जिला-दक्षिण 24 परगना राज्य -पश्चिम बंगाल

3. राकेश कुमार राय उर्फ राकेश कुमार उर्फ आर.के.राय. उम्र लगभग 43 पुत्र राम इकबाल राय, निवासी स्टेशन रोड, गोरिया टोली पटना, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना जी.पी.ओ जिला पटना-राज्य-बिहार

4. नीरज शर्मा उर्फ नीरज कुमार शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र स्व. छोटकन शर्मा, निवासी टोपरा टोला, श्रीमतपुर पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना-भागलपुर, जिला भागलपुर राज्य -बिहार।

------------याचीगण

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. संझला,मुर्मू, पुत्र स्व. राम जी. मुर्मू उर्फ राम जी मुर्मू, निवासी गाँव रकसोबंध, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना -रंगा जिला-साहिबगंज

-------------विरोधी पक्षकारगण

याचीगण के लिए : श्री निशांत कुमार राय, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री भोला नाथ ओझा, अपर लो. अभि.

विरोधी पक्षकार सं. 02 के लिए : श्रीमती जसविन्दर मजुमदार अधिवक्ता

निर्णीत

मा. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्षकारो को सुना

2. इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,341,323,324,307 तथा 120 ख के अधीन तथा अनु. जाति/ अनु. जनजाति

अधिनियम की धारा 3 (i) (आर) (एस) के अधीन दण्डनीय अपराधो के लिए पंजीकृत तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 24 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान अपर सेशन जज-1 साहेबगंज के समक्ष लंबित है के संबंध में प्रथम सुचना रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो का अभिखण्डन करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 2644 वर्ष 2024 की ओर आकृष्ट किया है जो याचीगण तथा क्षतिग्रस्त- आकाश कुमार महतो उर्फ आकाश कुमार, मुंशी मुर्मू विरोधी पक्षकार सं. 2 / इत्तिला देने वाला संझला मुर्मू के पृथक शपथ पत्रो द्वारा समर्थित है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख लिया गया है कि पक्षकारो ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद को निपटा किया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच विवाद विशुद्ध रूप से सिविल विवाद है तथा कोई लोकनीति अन्तर्वलित नही है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पक्षकारो के बीच बेरोक लड़ाई थी तथा इसी घटना के लिए, तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 23 वर्ष 2023 भी इत्तिला देने वाले /विरोधी पक्षकार सं. 2 के विरूद्ध याचीगण द्वारा संस्थित किया गया है. आगे यह निवेदन किया गया है कि पीड़ित पर हमले का अभिकथन मुक्के के प्रहार तथा लातो द्वारा है तथा किसी हथियार के प्रयोग के बारे में अभिकथन नही है न ही अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य का अपमान करनेके लिए साशय किसी शब्द को कहने के बारे में याचीगण के विरूद्ध कोई अभिकथन है तथा यद्यपि इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 या अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के दण्ड प्रावधानो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध प्र.सू.रि. में किये गये अभिकथनो से नही बनता है फिर भी मामले को गंभीर बनाने के लिए प्र.सू.रि. में उक्त अपराध को जोड़ा गया है।यह भी निवेदन किया गया है कि यद्यपि मामले का अन्वेषण 17-05-2023 से चल रहा है लेकिन फिर भी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया है तथा अन्वेषण अभी भी जारी है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौता के दृष्टिगत, इस दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा क्योकि समझौता के दृष्टिगत, याचीगण के दोषसिद्धि की गुंजाइश दूर तथा कठोर है।

4. अपने निवेदन की पुष्टि करने के लिए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने नरिन्दर सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य तथा एक अन्य (2014) 6 एससीसी 466 में संप्रकाशित के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 29 निम्नवत पठित है :

"29 पूर्वोक्त विवेचना के दृष्टिगत, हम उन निम्न सिद्धांतो का सार प्रस्तुत करते है तथा अधिकथित करते है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय कार्यवाहियो के अभिखंडन तथा समझौता को स्वीकार करते हुए या दाण्डिक कार्यवाहियो को जारी रखने के निदेश के साथ समझौता को स्वीकार करने से इंकार करते हुए पक्षकारो के बीच समझौता को पर्याप्त बर्ताव देने में संहिता की धारा 482 के अधीन अपने शक्ति का प्रयोग करने में नियंत्रित होगा :

29.1 संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से सुभिन्न होना चाहिए जो संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधो का समन करने के लिए न्यायालय में होता है। निःसंदेह. संहिता की धारा 482 के अधीन ऐसे मामलो में भी उच्च न्यायालय के पास दाण्डिक कार्यवाहियो का अभिखण्डन करने की शक्ति है जो समनीय नही है, जहाँ पक्षकारो ने स्वयं के बीच मामले को निपटा लिया है। फिर भी, इस शक्ति का प्रयोग कम तथा सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

29.2 जब पक्षकारगण समझौता कर चुके है तथा इस आधार पर दाण्डिक कार्यवाहियो के अभिखण्डन हेतु याचिका दाखिल की गई है, इस प्रकार के मामले में निर्देशक कारक होगा:

(i) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करना

(ii) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकना

शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को पूर्वोक्त दोनो उद्देश्य में किसी एक पर राय बनाना पड़ता है।

29.3 उन अभियोजनो में इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग नही किया जाना चाहिए जिसमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य तथा गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराध शामिल है। इस प्रकार का अपराध प्रकृति में प्राइवेट नही होता है तथा इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत किये गये अभिकथित अपराधो या लोक सेवको द्‌वारा इस हैसियत से कार्य करते हुए किये गये अपराधो को मात्र पीड़ित तथा अपराधी के बीच समझौता के आधार पर अभिखंडित नही किया जाना चाहिए।

29.4 दूसरी तरफ, ऐसे दाण्डिक मामले जिनका जबरजस्त तथा प्रमुख रूप से सिविल चरित्र होता है, विशेष रूप से ऐसे मामले जो वाणिज्यिक संव्यवहारो से उद्‌भूत होते है या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादो से उदभूत होते है को अभिखंडित किया जाना चाहिए जब पक्षकारो ने अपना सम्पूर्ण विवाद स्वयं निपटा लिया है। 29.5 अपने शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह जाँच करना पड़ता है कि क्या दोष सिद्‌धि की संभावना दूर तथा कठोर है एवं दाण्डिक मामले के जारी रहने से अभियुक्त का अत्यधिक उत्पीड़न होगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा दाण्डिक मामले का अभिखंडन न करने से इसके साथ अत्यधिक अन्याय कारित होगा।

29.6 धारा 307 भा.द.सं. के अधीन अपराध जघन्य तथा गंभीर अपराधो की श्रेणी में आएगा तथा इस लिए सामान्यतया समाज के विरूद्‌ध अपराध के रूप में माना जाना चाहिए तथा न कि अकेले व्यक्ति के विरूद्‌ध। फिर भी, उच्च न्यायालय मात्र इसलिए अपने निर्णय पर भरोसा नही करेगा क्योकि प्र.सू.रि. में धारा 307 भा.द.सं. का उल्लेख है या आरोप इस प्रावधान के अन्तर्गत विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय यह जाँच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या इसके लिए धारा 307 भा.द.स. को सम्मिलित किया गया है या अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया है, जो यदि साबित होता है, धारा 307 भा.द.स. के अधीन आरोप साबित होगा। इस प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय पहुचे क्षति के प्रकृति, क्या इस प्रकार की क्षति शरीर के महत्वपूर्ण / नाजुक अंगो पर पहुँचाई गई है. प्रयुक्त हथियार की प्रकृति इत्यादि के अनुसार चलेगा। पीड़ित को पहुँचे क्षतियो के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट सामान्यतया निर्देशिका कारक हो सकता है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जाँच कर सकता है कि क्या दोष सिद्‌धि की मजबूत संभावना है या दोषसिद्‌धि की संभावना दूर एवं कठोर है। पूर्ववर्ती मामले में यह समझौते को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है तथा

दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित कर सकता है जबकि परवर्ती मामले में, पक्षकारो के बीच पूर्ण समझौते पर आधारित अपराध के शमनीकरण के अभिवाक् को स्वीकार करना उच्च न्यायालय के लिए अनुज्ञेय नही होगा। इस प्रक्रम पर न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित भी हो सकता है कि पक्षकारो के बीच समझौता के परिणामस्वरूप इनके बीच सौहार्द होने जा रहा है जो इनके भावी संबंध को सुधार सकता है।

29.7 यह विनिश्चय करते समय कि क्या संहिता की धारा 482 के अधीन अपने शक्ति का प्रयोग करना या न करना, समझौते का समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे मामलो में जहाँ समझौता अपराध के अभिकथित किये जाने के तत्काल बाद किया जाता है तथा मामले का अन्वेषण जारी रहता है. उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियो / अन्वेषण का अभिखंडन करने के लिए समझौता को स्वीकार करने में उदारचेता हो सकता है। यह इस कारण होता है कि इस प्रक्रम पर अन्वेषण अभी भी जारी है तथा आरोपपत्र को भी दाखिल नही किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे मामले जहाँ आरोप विरचित किया गया है लेकिन साक्ष्य अभी-आरंभ होना है या साक्ष्य अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, उच्च न्यायलय अनुकूल दृष्टि से अपने शक्तियो का प्रयोग करने में हितकारिता प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन परिस्थितियो / ऊपर उल्लिखित सामग्री के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के बाद। दूसरी तरफ जहाँ अभियोजन साक्ष्य लगभग पूरा है या साक्ष्य के समाप्ति के बाद मामला बहस के प्रक्रम पर है, सामान्यतया उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के अधीन अपने शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योकि इस प्रकार के मामलो में विचारण न्यायालय मामले का विनिश्चय अंतिम रूप से गुणावगुण पर करने तथा इस निष्कर्ष पर आने के स्थिति में होगा कि क्या धारा 307 भा.द.स. के अधीन अपराध किया गया है या नही। इसी प्रकार ऐसे मामलो में जहाँ दोष सिद्धि को पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया है तथा मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय प्रक्रम पर है, पक्षकारो के बीच मात्र समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नही होगा जिसके परिणामस्वरूप अपराधी को दोषमुक्त किया गया है जिसे पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। यहाँ आरोप

को धारा 307 भा.द.सं. के अधीन साबित किया गया है तथा दोषसिद्धि जघन्य अपराध के बारे में पहले ही लेखबद्ध किया गया है तथा इसलिए, इस प्रकार के अपराध का दोषी पाये गये दोष सिद्ध को छोड़ने का कोई प्रश्न नही है। "

(बल दिया गया)

अतः यह निवेदन किया गया है कि तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 24 वर्ष 2023 जो अब विद्वान अपर सेशन जज -1 साहेबगंज के समक्ष लंबित है के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

5. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लो. अभि. ने निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौते के दृष्टिगत, राज्य को तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 24 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान अपर सेशन जज-1 साहेबगंज के समक्ष लंबित है के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहिता सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो के अभिखंडन में कोई आपत्ति नही है।.

6. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के मा. उच्चतम न्यायालय को पर्वत भाई अहीर उर्फ पर्वत भाई भीम सिंह भाई करमुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में संप्रकाशित मामले में पक्षकारो के बीच समझौता के आधार पर अन्य बातो के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के अधिकारिता पर विचार करने का अवसर मिला था तथा पैरा सं. 11 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया:

"11 धारा 482 अध्यारोही प्रावधान से आरंभ होता है। कानून (i) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने के लिए या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आदेशो को करने के लिए जैसा आवश्यक है वरिष्ठ न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के अन्तनिर्हित शक्ति की व्यावृत्ति करता है। ज्ञान सिंह में [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (सिव) 1188 : (2013) 1 एससीसी : (क्रि) 160: (2012) 2 एससीसी (एल एवं एस) 988] इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायमूर्तिगण की पीठ ने विषय पर नजीर के मुख्य भाग का उल्लेख किया था तथा निर्देशक सिद्धांतो को अधिकथित किया था जिस पर उच्च न्यायालय को यह अवधारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या अन्तनिर्हित

अधिकारिता के प्रयोग में प्र.सू.रि. या परिवाद का अभिखण्डन करना चाहिए। विचार जिसे उच्च न्यायालय को प्रभावित करना चाहिए हैः (एससीसी पे. 342-343, पैरा 61)

> *"61 अपने अन्तनिर्हित अधिकारिता के प्रयोग में दाण्डिक कार्यवाही या प्र.सू.रि. या परिवाद का अभिखण्डन करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधो के शमनीकरण हेतु दाण्डिक न्यायालय को दिये गये शक्ति से भिन्न तथा अलग है। अन्तनिर्हित शक्ति व्यापक प्राचुर्य का है जिसकी कोई कानूनी सीमा नही है लेकिन इसका प्रयोग इस प्रकार की शक्ति अर्थात (i) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या (ii) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने में बैठाये गये दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए। किन मामलो में दाण्डिक कार्यवाही या परिवाद या प्र.सू.रि. का अभिखंडन करने के शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहाँ अपराधी तथा पीड़ित ने अपने विवाद को निपटा लिया है प्रत्येक मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो पर निर्भर होगा तथा किसी श्रेणी को विहित नही किया जा सकता है। फिर भी, इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग करने के पहले उच्च न्यायालय को अपराध के प्रकृति तथा गंभीरता पर सम्पक ध्यान देना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य तथा गंभीर अपराधो या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराधो को उपयुक्त तरीके से अभिखंडित नही किया जा सकता है भले ही पीड़ित का परिवार तथा अपराधी ने विवाद निपटा लिया है। इस प्रकार का अपराध प्रकृति में प्राइवेट नही होता है तथा इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनो के अन्तर्गत अपराधो या इस हैसियत में कार्य करते हुए लोक सेवको द्वारा किये गये अपराधो के संबंध में पीड़ित तथा अपराधी के बीच कोई समझौता दाण्डिक कार्यवाहियो जिसमें इस प्रकार के अपराध अन्तर्वलित है का अभिखंडन करने के लिए किसी आधार का उपबंध नही कर सकता है। लेकिन दाण्डिक मामले जिसमें जबरजस्त तरीके से तथा प्रमुख रूप से सिविल विशिष्टता होती है विशेष रूप से व्यापारिक,वित्तीय, वाणिज्यिक, सिविल, भागीदारी या इस प्रकार के संव्यहारो से उदभूत अपराधो या दहेज से संबंधित वैवाहिक या पारिवारिक विवादो से उद्भूत अपराध जहाँ अपराध मूलतः प्रकृति में प्राइवेट या व्यक्तिगत होता है तथा पक्षकारो ने अपने सम्पूर्ण विवाद का समाधान*

कर लिया है के अभिखण्डन के प्रयोजन हेतु भिन्न आधार पर आधारित है। इस श्रेणी के मामलो में, उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियो का अभिखंडन कर सकता है, यदि इसके विचार में अपराधी तथा पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिध्दि की संभावना दूर तथा कठोर है तथा दाण्डिक मामले के जारी रहने से अभियुक्त अत्यधिक उत्पीड़न में पड़ जायेगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं पीड़ित के साथ पूरा तथा पूर्ण निपटारे तथा समझौते के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखंडन न करने से इसके साथ अत्यधिक अन्याय कारित होगा। इसके शब्दो में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना न्यायहित के विरूद्ध या अनुचित होगा या दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना पीड़ित तथा अपराधी के बीच सुलह समझौते के बावजूद विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा तथा क्या न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह उचित है कि दाण्डिक मामले का अंत किया जाय तथा यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नो) का उत्तर हाँ में है तो उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने के लिए भलीभाँति अपने अधिकारिता में होगा।

(बल दिया गया)

7. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि इस मामले में अन्तर्वलित अपराध जघन्य अपराध नही है न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध अन्तर्वलित है, बल्कि इस मामले में अन्तर्वलित अपराध पक्षकारो के बीच प्राइवेट विवाद से संबंधित है। जैसा मामले के पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ठीक ही निवेदन किया गया है, मामले को गंभीर बनाने के लिए अभिकथनो में कुछ छेड़छाड़ किया गया है यद्यपि वास्तव में यह घटित नही हुआ था।

8. अपराधी तथा पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के बावजूद, याचीगण के दोष सिद्धि की संभावना दूर तथा कठोर है तथा दाण्डिक मामले के जारी रहने से याचीगण अत्यधिक उत्पीड़न में पड़ जायेगे तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं पीड़ित के साथ पूरा तथा पूर्ण सुलह समझौते के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखण्डन न करने से इसके साथ अत्यधिक अन्याय कारित होगा।

9. अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह उपयुक्त मामला है जहाँ तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 24 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान अपर सेशन जज-I, साहेबगंज के

समक्ष लंबित है के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय, जैसा याचीगण द्वारा अनुरोध किया गया है।

10. तद्नुसार, तिनपहर पुलिस थाना मामला सं. 24 वर्ष 2023 जो अभी विद्वान अपर सेशन जज-I, साहेबगंज के समक्ष लंबित है के संबंध में प्रथम रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को याचीगण के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

11. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

12. वर्तमान आ.प्र.या. के निपटारे के दृष्टिगत आई.ए.स. 2644 वर्ष 2024 को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)